

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शैल देवी पति-केशव कुमार ग्राम+पो0-भिट्ठी सहाबुद्दीन थाना-बनियापुर जिला-सारण सीआरनं0-27414/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	राजेश कुमार पिता-महेश प्रसाद कुशवाहा ग्राम-बैरिया पो0+थाना-कुंडवा चैनपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-59872/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	राजमती देवी पति-ब्रह्मदेव यादव ग्राम-मोरडीहरी रूद्र खाप पो0-पडरावा थाना-जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-090629/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	तारकेश्वर राय पिता-द्वीप नारायण राय ग्राम-पो0-सिरसा विरन थाना-लालगंज, जिला-वैशाली सीआरनं0-73261/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	मनोज कुमार पिता-राम नरेश सिंह ग्राम-बहादुरपुर, पो0-करौटा, थाना-सालीमपुर जिला-पटना सीआरनं0-84825/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/7/16

6	भगवान सिंह पिता-बिन्दा सिंह ग्राम-दुरगौली, पो0-बनसोही थाना-मशरक, जिला-सारण सीआरनं0-93293 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	शैलेन्द्र कुमार पिता-लाला प्रसाद ग्राम+पो0-अन्दी थाना-अस्थांवा जिला-नालंदा सीआरनं0-77342 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	सुरेन्द्र शर्मा पिता-स्व. सरयुग शर्मा ग्राम-बसैठा पो0-बसंतपुर पट्टी थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-80612 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
9	नागेन्द्र राय पिता- ब्रह्मदेव राय ग्राम-पो0-दिग्धी थाना-बथनाहा, जिला-सीतामढी सी.आरनं0-48377 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
10	उमेश रजक पिता-स्व. फिरंगी रजक ग्राम-राजपुर पो0-थाना-बिहटा जिला-पटना सी.आरनं0-89278 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
11	फूलवती सिंह पति-शिवेन्दु प्रसाद यादव ग्राम-जानकीपुर पो0-पवई, थाना-अमरपुर जिला-बांका सीआरनं0-73228 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
12	गौरी देवी पति-राजेश्वर चौहान ग्राम-इटवा टोला ददपी पो0-गाजनपुर, थाना-परैया जिला-गया सी.आरनं0-65088 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/16
21/11/16

13	रुगदी देवी पति-मोतीचंद प्रसाद ग्राम-चुलाई हाता पो0-कैलगढ़ थाना-बड़हरीया जिला-सीवान सीआरनं0-85409 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
14	सविता देवी पति-सुरेन्द्र चौधरी ग्राम-दीघा घाट पाटीपुल पो0-थाना-दीघा जिला-पटना सीआरनं0-95952 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	प्रकाश चन्द्र साह पिता-स्व. बहादुर साह ग्राम-हाजीपुर वार्ड नं0-12 पो0+थाना+जिला-खगड़िया सीआरनं0-49849 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
16	सरस्वती देवी पति-बम शंकर चौधरी ग्राम-पो0-चैनसिंह पट्टी थाना+जिला-सुपौल सीआरनं0-45848 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
17	मीरा देवी पति-संजय कुमार झा ग्राम+पो0-पीढौली थाना-तेघड़ा जिला-बेगुसराय सीआरनं0-90544 / 16	हृदय रोग	₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत।
18	फुल कुमारी देवी पति-जय नारायण साह ग्राम-पो0-बिहारी थाना-मधवापुर जिला-मधुबनी सीआरनं0-85243 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
19	वकील राम पिता-स्व. किशोरी राम ग्राम+पो0-सोनवर्षा थाना-पानापुर जिला-सारण सीआरनं0-20793 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
20	मीरा देवी पति-देव कुमार राम ग्राम-पो0-सुहीया थाना-साहपुर जिला-भोजपुर सीआरनं0-73236 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

21/7/16

21	बबजानंद मंडल पिता-स्व. कुकरु मंडल ग्राम-पो0-जमुआ थाना-तारावाडी जिला-अररिया सीआरनं0-61464 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
22	मंजु देवी पति-किशोर कुमार ग्राम-अरफाबाद अल्ला बक्सपुर पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना सीआरनं0-093312 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
23	शैल कुमारी देवी पति-नागेन्द्र झा ग्राम-सिलौत पो0-पोखरैरा थाना-जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-90900 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
24	संजु देवी पति-शंकर दास ग्राम-बाजीतपुर गेट नं0-92 पो0+थाना-दीघा जिला-पटना सीआरनं0-78390 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
			कुल ₹ 15,70,000 / -

- उक्त अनुदान की कुल राशि 15,70,000 / -(पन्द्रह लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388041 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **इलाहाबाद बैंक**, शाखा का नाम - **पटना**, RTGS/IFSC कोड सं0 **ALLA0212284** में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

21/7/14

5 आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388041 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1050(14)

पटना, दिनांक 22.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रीता मिश्रा पति-सुनील मिश्रा ग्राम-पहाड़पुर अनिसाबाद पो०-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	आराध्या सिंह पिता-राकेश कुमार सिंह ग्राम-पो०-आमसारी थाना-मुरार जिला-बक्सर	कोकलीयर इम्प्लांट	₹ 5,50,000/-(पांच लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	किरण देवी पति-कामेश्वर प्रसाद यादव ग्राम-मठियापुर पो०-जमसौत थाना-शाहपुर जिला पटना	कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में। ₹ 1,00,000/-(एक लाख) स्वीकृत।
4	अरविन्द पासवान पिता-चुमचुम पासवान ग्राम-खराट पो०-छाता थाना-मसौड़ी जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।
5	सुनीता देवी पति-राज कुमार प्रसाद ग्राम-गोल बगीचा गबरा पो०-आर०एस० थाना-कोतवाली जिला-गया	कैंसर रोग	₹ 60,000/-(साठ हजार) स्वीकृत।

21/7/16

6	मो. आफताब आलम पिता-मो० शकील अहमद ग्राम-नया टोला पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	हड्डी रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,55,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 8,55,000/- (आठ लाख पचपन हजार) मात्र का क्रास चेक सं०. 388061
.....मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन


ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1046 (14)

पटना, दिनांक 22.07.16

प्रतिलिपि- लेखापोल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीज/श्री ददन यादव विधायक डुमरौव/श्रीमती रेखा देवी स०वि०स० मसौढ़ी पता-ग्राम+पो०-पभेड़ा, थाना-धनरुआ, जिला-पटना/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.07.16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
एस.एस. हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चुनिया खातुन उर्फ चुनी खातुन पति-शमीम अख्तर ग्राम-झनकुंआ पोस्ट-बरहरी थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	शंकर रजक पिता-दरोगा रजक ग्राम+पो0-सकरी सरैया थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	बीबी हदीसा खातुन पति-मो0 हासीम अंसारी ग्राम+पो0-बौराहा थाना-करजाईन बाजार जिला-सुपौल	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	जुनेद अली पिता-मो0 सगीर ग्राम-बनियापुर टोला अहरापर पो0+थाना-बनियापुर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388052 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

21/7/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388059 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1044(14)

पटना, दिनांक 22/07/16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
आ.हि.प्र.

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० मुर्तुजा पिता-मो. कासीम ग्राम+पो०-कपुर पकरी थाना-शिकारगंज जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	शांति देवी पति-स्व. मुरारी त्रिपाठी ग्राम-धवरी पो०-सरमी थाना-सहाजीतपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
3	तेतरी देवी पति-बैजु पासवान ग्राम-इस्माईलपुर पो०-लगुनीया थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
4	नुर शहाना प्रवीण पति-मो० सहलुद्धीन ग्राम-पैगम्बरपुर पो०-कन्हौली मनोहर थाना-बनियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	हरि किशोर सिंह पिता- भाग्य नारायण सिंह ग्राम-पो०-दामोदरपुर थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,70,000 /

(Handwritten signature and date)
21/7/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/-(चार लाख सतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388063.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388063...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1049(14)

पटना, दिनांक 22.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्री देवी पति-बिन्देश्वर सिंह ग्राम-पो०-चकहारी थाना-जिला-समस्तीपुर	स्पाइनल सर्जरी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	शिवनाथ राम पिता-स्व० बाल किशुन राम ग्राम-शाहमल खैरा पो०-बलथरी थाना-कोचस जिला रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	समुन्द्री देवी पति-नन्द किशोर प्रसाद ग्राम-पो०-नाहुब थाना-राजगीर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,35,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388062 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

21/7/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त **(unutilised)** राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388062 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1047(14)

पटना, दिनांक 22-07-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थय विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,

पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बेबी देवी पति-गोपाल इसर ग्राम-पछीयारी टभका पो०-चकबेदुलीया थाना-विभुतीपुर जिला समस्तीपुर	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) का क्रास चेक सं०..... 388060.....
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1045(14)

पटना, दिनांक 22.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21-7-16